यह निरीक्षण प्रतिवेदन **बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** के माह 04/2016 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जितेन्द्र सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06.09.2017 से 11.09.2017 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

(ii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** का मुख्य कार्यकलाप समस्त 0-6 वर्ष के लाभार्थियों एवं गर्भ/धात्रियों को पोषाहार से लाभान्वित करना तथा नंदा देवी योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।

(ब) **बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में स्थित है।

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+) `**	**बचत (-) `**
	स्थापना `	**गैर स्थापना `**	**आवंटन `**	**व्यय `**	**आवंटन `**	**व्यय `**		
2015-16	0	0	54.71	38.39	541.22	528.40	---	29.14
2016-17	0	0	48.02	41.79	491.40	282.14	---	215.49
2017-18 (up to Aug.2017)			33.82	22.00	195.91	101.94	---	105.79

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष `**	**प्राप्त `**	**व्यय**	**अधिक्य (+) `**	**बचत (-) `**
2015-16	THR & Cooked food	00	316.50	316.50	--	
2015-16	मु.वृ.महि. पो.	00	25.00	24.99	--	0.01
2016-17	THR & Cooked food	00	245.00	60.54	--	184.46
2016-17	मु.वृ.महि. पो.	00	47.65	44.04	--	3.60
2017-18	THR & Cooked food	00	123.20	43.46	--	79.73

(iv) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्रोत निदेशालय स्तर से प्राप्तहै। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख सचिव 2. अपर सचिव 3. निदेशक 4. डी.पी.ओ. 5. सी.डी.पी.ओ. 6. सुपर वाइजर 7. आंगनबाजडी कार्यकत्री

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग II (ब)

प्रस्तर 01 : विभागीय उदासीनता एवं अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक एवं 611 लाभार्थियों को रूपये 91.65 लाख का भुगतान लम्बित रहना ।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना 'हमारी कन्या हमारा अभियान योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवासियों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जीवित बालिकाओं ने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्तें पूरी करते हों चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जीवित सन्तानें भी हों को दिया जाएगा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहता के रूप में रूपये 15000/- की धनराशि तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त बालिका के अभिभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकतम एक माह के अन्दर 5000/- की धनराशि A/c Payee चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावक को प्रदान की जायेगी। शेष धनराशि रूपये 10,000/- एफ॰ डी॰ के माध्यम से बैंक में कन्या तथा उसके माता-पिता के नाम से संयुक्त रूप से करायी जायेगी। द्वितीय किश्त के रूप में कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः कन्या के माता-पिता के खाते मे E-transfer के माध्यम से रूपये 5000/- की धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। शेष धनराशि को पुनः 8 वर्षों की अवधि के लिए एफ॰ डी॰ करा डी जायेगी जिसमें से तृतीय एवं अंतिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि लाभार्थी बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु यह शर्त भी थी कि यदि बालिका की अपरिहार्य कारणों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो यह धनराशि राजकोष में जमा कर दी जाएगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर ग्रामीण, ऊधम सिंह नगर के नन्दा देवी योजना के लेखों की नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि योजना के अन्तर्गत सम्प्रेक्षा अवधि अगस्त 2017 तक कुल प्राप्त 1231 आवेदनों के सापेक्ष मात्र 620 लाभार्थियों को ही उक्त योजना के अन्तर्गत रूपये 15000/- की दर से भुगतान किया गया, जबकि लेखा परीक्षा (अगस्त 2017) तक 611 लाभार्थियों को रूपये 15000/- प्रति लाभार्थी की दर से रूपये 91.65 लाख का भुगतान किया जाना लम्बित था।

आगे यह भी देखा गया कि इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को रुपए 5000.00 की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम भुगतान किया गया था तथा रूपये 10000.00 की एफ़डीआर बनाकर दे दिया जा रहा था जबकि उक्त एफ़डीआर विभाग के पास होनी चाहिए थी जिससे कि 10 वर्ष की आयु पूरी होने पर रुपए 5000.00 का भुगतान किया किया जा सके और शेष राशि ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर तथा अन्य शर्ते पूरी होने पर भुगतान किया जा सके। परन्तु विभाग द्वारा नियमो एवं प्रविधानों के इतर लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा इस योजना को सम्यक रूप से लागू न किए जाने के कारण 611 लाभार्थी इस योजना के लाभ से वंचित रहे, जो कि असम्यक योजना के असफल क्रियान्वयन धोतक था। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को रुपए 5000.00 की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम भुगतान किया गया था तथा रूपये 10000.00 की एफ़डीआर बनाकर लाभार्थी को दे दिया गया था जबकि उक्त एफ़डीआर विभाग के पास होनी चाहिए थी, जिससे कि 10 वर्ष की आयु पूरी होने पर रुपए 5000.00 का भुगतान किया किया जा सके और शेष राशि ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर तथा अन्य शर्ते पूरी होने पर भुगतान किया जा सके। इस प्रकार बालिकाओं की 10 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लाभार्थियों को किस प्रकार भुगतान किया जा सकेगा। जबकि विभाग द्वारा लाभार्थियों को प्रथम किश्त के समय समस्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका था, विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही न केवल योजना के प्राविधानों का उल्लंघन था, अपितु योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक भी था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि लाभार्थियों को बजट के अभाव के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। शासन से बजट प्राप्त होने पर लाभार्थियों को भुगतान कर दिया जाएगा।

इकाई के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता के कारण 611 लाभार्थियों को योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ा। बालिका द्वारा 10 वर्ष की आयु पूरी होने पर रुपए 5000.00 का भुगतान किए जाने और शेष राशि ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर तथा अन्य शर्ते पूरी होने पर भुगतान किए जाने का प्रावधान था। जबकि विभाग द्वारा 497 बाण्ड सहित लाभार्थियों को प्रथम किश्त के समय समस्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका था, विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही न केवल योजना के प्राविधानों का उल्लंघन था, अपितु योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक भी था।

अतः विभागीय उदासीनता एवं योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक एवं 611 लाभार्थियों को रूपये 91.65 लाख का भुगतान लाबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर 02 : 4.99 लाख के अर्जित ब्याज एवं की धनराशि को शासन को प्रेषित न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं° 99/ xxvii (14) 2009 दिनांक 03.12.2009 के द्वारा ब्याज की धनराशि को तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए। यदि किसी मद में ब्याज की धनराशि को व्यय किया जाना हो तो वित्त विभाग से पृथक शासनादेश उपलब्ध होना चाहिए तथा उस धनराशि को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराशि की मांग शासन से की जाएगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर ग्रामीण, ऊधम सिंह नगर के योजनाओं के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग को आबंटित धनराशि पर बेंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है, वर्ष 2016-17 से 2017-18 (अगस्त 2017 तक) की अवधि में प्राप्त ब्याज की राशि को 0049 में जमा न करने या धनराशि को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराशि की मांग शासन से नहीं किए जाने से ब्याज की धनराशि रू° 4,98,787/- लम्बित हैं, जिसे तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए, ब्याज की राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र° सं°	योजना का नाम	ब्याज की धनराशि
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर ग्रामीण, ऊधम सिंह नगर	1,80,806.00
2	विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्राप्त ब्याज	3,19,225.00
कुल योग		**4,98,787.00**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बैंक में ब्याज की धनराशि प्रति वर्ष बढ़ रही थी तथा विभाग द्वारा ब्याज की धनराशि को शासन को वापस नहीं किया जा रहा था, जो शासनादेश के प्रति उदासीनता को प्रकट करती है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि विभाग द्वारा उक्त धनराशि को तत्काल जमा करा दिया जायेगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि विभाग द्वारा एक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी विभाग द्वारा शासन को धनराशि वापस नहीं की गयी। जिससे न केवल उक्त धनराशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध है, जिसका विकास कार्यों पर उसका उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतः विभाग द्वारा रू° 4.99 लाख के अर्जित ब्याज की धनराशि को शासन को प्रेषित न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01 : विभाग द्वारा वित्तीय क्रियाकलाप का अनुश्रवन एवं मूल्यांकन नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड V भाग 1 के प्रस्तर 27A के अनुसार प्रत्येक सरकारी अधिकारी जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोई लेन-देन करता है तो उसका यह कर्तव्य है कि उसकी प्रविष्टि यथाशीघ्र रोकड़ बही में करेगा एवं उसे सक्षम अधिकारी द्वारा सूक्ष्म हस्ताक्षर कर अंकित राशि को प्रमाणित करेगा। कार्यालयाध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को रोकड़ की गिनती करेगा एवं इस संबंध में एक प्रमाणपत्र रोकड़ बही में दर्ज कर हस्ताक्षर करेगा तथा वर्ष के अन्त (मार्च) मदवार वार्षिक लेखा बन्दी किया जाना आपेक्षित है।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर ग्रामीण, ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत आने वाले आगनवाडी केन्द्रों की रोकड़ बही की नमूना जांच निम्नलिखित त्रुटियाँ -

1- रोकडवही मे प्रत्येक भुगतान के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा सूक्ष्म हस्ताक्षर कर अंकित राशि को प्रमाणित नहीं किया जा रहा है।

2- आगनवाड़ी केन्द्र जुडका न° 02, गोविन्द नगर, बांसखेड़ा कलाँ-II, गुलडिया-I, अहरपुरा-I, बरखेड़ा पाण्डेय-III, बरखेड़ा पाण्डेय-II, जगन्नाथ पुर, कुंडेश्वरा, गंज-II, मढ़ैया देवी-II, मढ़ैया देवी-I, मल्टीवाल लेबर कॉलोनी, दोहरी वकील-II, हेमपुर इस्माइल-I, आदर्श नगर-I, जामा मस्जिद-I, हकीम गंज-II रोकड़ वही में भुगतान की गयी धनराशि को भुगतान कॉलम के साथ प्राप्ति के कॉलम में भी दर्ज करके उस माह का प्राप्ति शीर्ष का योग दर्शाया गया था जो कि नियम के विरुद्ध था। बाल विकास परियोजना अधिकारी के अधीनस्थ किसी भी आगनवाड़ी केन्द्रों के द्वारा रोकड़ वही का संधारण नियमानुसार नहीं किया जा रहा था।

3- आदर्श नगर I, जामा मस्जिद I, मढ़ैया देवी-I एवं गोविन्द नगर आगनवाडी केन्द्रों के द्वारा रोकड़ बही को पेंसिल द्वारा भरा जा रहा था तथा माह के योग को पैन्सिल से दर्शाया जा रहा था।

4- आगनवाड़ी कार्यकत्रियों के द्वारा रोकड़ बही को किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

5- आगनवाड़ी कार्यकत्रियों के बिलों को किसी भी अधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/ प्रमाणित नहीं किया गया था।

6- केन्द्र बरखेड़ा पाण्डे II के द्वारा 06/2017 से आगे की रोकड बही नहीं बनायी गयी है तथा शिवनगर केन्द्र के द्वारा विगत दो वर्षों से रोकडबही मे इंद्राज नहीं किया गया था।

7- आगनवाडी केंद्र रामनगर काशीपुर के लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि आगनवाडी केन्द्र द्वारा रोकड़बही तो बनाई गयी थी, लेकिन वाउचर सम्बन्धी अभिलेख पूर्ण नहीं किए गए थे।

8- छप्परवाली डेरे, गोविन्द नगर तथा शिव नगर आगनवाडी केन्द्रों के अभिलेख पूर्णतः अव्यवस्थित एवं अपूर्ण थे ।

9- सुपरवाइजर द्वारा आगनवाडी केन्द्रो के लेखा अभिलेखों यथा राशन वितरण पंजिका, रोकड़ बही, बिल वाउचर तथा उपस्थिती पंजिका आदि का सत्यापन नहीं किया जा रहा था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की आगनवाडी केन्द्रो द्वारा संचालित कार्यक्रम /योजना एवं कार्यविधि पर, विशेषकर वित्तीय क्रियाकलाप का विभाग द्वारा कोई भी अनुश्रवन एवं मूल्यांकन नहीं किया जा रहा था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि उक्त त्रुटियों को भविष्य में सुधार करा लिया जायेगा।

विभाग के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि संबन्धित केन्द्रों में उक्त त्रुटियाँ की जा रही थीं तथा वित्तीय क्रियाकलाप का विभाग द्वारा कोई भी अनुश्रवन एवं मूल्यांकन नहीं किया जा रहा था। अतः विभाग द्वारा अनुश्रवन एवं मूल्यांकन नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने **बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्रीमती ललिता वर्मा	बाल विकास परियोजना अधिकारी	04/2015 से 10/2015
2.	श्री अखिलेश कुमार मिश्रा	बाल विकास परियोजना अधिकारी	11/2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र